प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 15.03.2026

हास्पिटल में मरीज को बिना भर्ती किये अवैध तरीके से हेल्थ इन्स्योरेंस कंपनी के बीमा का पैसा भुगतान कराने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2026 धारा 318(4),319(2),336(3),338,340(2),61(2) बी0एन0एस0 से अभियुक्त ताहीर खान पुत्र बरकतुल्लाह निवासी गेहुआसागर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.03.2026 को थाना स्थानीय पर वादी सिनियर मैनेजर एसबीआई जनरल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा तहरीर दिया गया कि थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित डीसेन्ट हास्पिटल के संचालक व कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हेल्थ बीमा कम्पनी के धारकों का बिना अपने अस्पताल में इलाज कराये हेल्थ क्लेम का लाखों रूपये का भुगतान अवैध कराया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

ताहीर खान पुत्र बरकतुल्लाह निवासी गेहुआसागर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 597/2025 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 150/26 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना रामगढ़ताल गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राम सिंह थाना रामगढताल नजपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रामशिव यादव थाना रामगढताल नजपद गोरखपुर